नम्बर / वर्ष ~~94/2007~~ 9/23 अनवानी देवीलाल/हरीश ~~[illegible] बनाम हीराम~~

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीषियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
20/4/25	पत्रावली पेश हुई प्रार्थना पत्र 144 सीपीसी पर निम्नप्रकार से विवेचन किया गया। वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र 144 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की श्रीमानजी के समक्ष धारा 88, 188 आरटीएक्ट के तहत अप्रार्थी स0 1 ता 11 के विरूद्ध स्वयं की कृषि भूमि ख0न0 721 व 721/1011 की 9.11 बीघा भूमि मृतक निकुराम के नाम गलत दर्ज करदी उक्त भूमि वादी का वादी के पक्ष में दिनांक 19.07.2011 को श्रीमानजी के न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया अनवानी वाद राजस्व अपील अधिकारी द्वारा न्यायालय हाजा का निर्णय एव डिक्री दिनांक 03.04.2017 को अपास्त किया जाकर पुन सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया है राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय की अपील राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की गई एवं माननीय मण्डल द्वारा दिनांक 03.11.2022 को अपील स्वीकार की गई एवं न्यायालय हाज का निर्णय दिनांक 19.07.2011 बहाल रखा गया। दानाराम पुत्र निकुराम द्वारा एक वाद 53, 88 आरटीएक्ट प्रस्तुत किया गया जिसमें 19.01.2011 को वादग्रस्त भूमि का खाता विभाजन करवा लिया एवं चूकी ख0न0 721 व 721/उक्त वाद में एक पक्षीय तौर से 011 के बाबत प्रार्थी के पिता का वाद जैरकार था जिसमें उनको पक्षकार नही बनाया गया था तथा गलत तरीके से खाता विभाजन करवा लिया एवं ख0न0 721 से 721/1 से 721/10 में विभाजित हो चुकी है जबकि उक्त भूमि ख0न0 721 व 721/1011 की 9.11 बीघा भूमि डिक्री प्रार्थी के पक्ष में जारी की गई थी। माननीय मण्डल के निर्णय दिनांक 03.11.2022 की पालना में प्रार्थी व अप्रार्थी के नाम से जरिये इंतकाल इजराय ख0न0 721/1011 की 1.2650 हैक्ट भूमि का राजस्व रिकार्ड मे अंकन हो चुका है जबकि शेष 4.11 हैक्ट भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी स0 2 ता 26 के नाम से अंकन नही हुआ है चुंकि प्रार्थी के पिता के पक्ष में 9.11 बीघा भूमि की डिक्री जारी हुई थी उक्त डिक्री की पालना नही हुई है तथा प्रार्थी दिनांक 09.11.2011 से पूर्व की स्थिति बहाल करवाना चाहता है। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.07.2011 की पालना राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए अप्रार्थी स0 1 ता 19 का नाम कलमजन कर प्रार्थी व अप्रार्थी स0 21 ता 26 के नाम दर्ज की जावे एवं दिनांक 19.07.2011 से पूर्व की स्थिति बहाल की जावे। अप्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की माननीय मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.11.2022 की अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रिट स0 115/2023 बअनवानी दानाराम बनाम श्योजत वगैरह जैरकार है। राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट के जैरकार रहते प्रार्थी को 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नही है तथा उक्त भूमि के रजिस्टर्ड बैयनामे हो चुके है जिनको प्रार्थी द्वारा कही चैलेंज नही किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 144 सीपीसी खारिज फरमावे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 18:30:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दैवीलाल / हरीश

नम्बर / वर्ष ~~94/2007~~ 8/23 अनवानी ~~नवाराम बनाम हीराम~~

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया उक्त वाद भूमि बाबत दिनांक 19.07.2011 को वाद वादी डिक्री किया गया एवं न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 19.07.2011 की अपील को माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ द्वारा रिमाण्ड किया गया एवं माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील कि गई एवं माननीय मण्डल द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 19.07.2011 को बहाल रखा गया। माननीय राजस्व मण्डल मे निर्णय दिनांक 03.11.2022 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रिट स0 115/2023 बअनवानी दानाराम बनाम श्योजत पेश की गई जो की वर्तमान में माननीय न्यायालय में जैरकार है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र 144 सीपीसी पेश कर राजस्व रिकार्ड में निर्णय दिनांक 19.07.2011 से पूर्व की स्थिति बहाल करने का निवेदन किया गया।

वाद भूमि बाबत माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट संख्या 115/2023 अबनवानी दानाराम बनाम श्योजत जैरकार है तथा रिट संख्या 115/2023 अनवानी दानाराम बनाम श्योजत आदि में दिनांक 24.04.2023 को प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो चुके है। रिट के जैरकार रहते माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पेश रिट समान्तर वाद की कार्यवाही है एवं न्यायालय हाजा का निर्णय अंतिम नही है। प्रार्थी द्वारा हस्तगत न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.07.2011 से स्थिति बहाल करवाना चाहते है तो लेकिन उक्त वाद भूमि बाबत माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रिट स0 115/2023 बअनवानी दानाराम बनाम श्योजत जैरकार है। अतः माननीय न्यायालय के उक्त रिट में कोई निर्णय पारित नही हो तब तक हस्तगत प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नही है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 144 सीपीसी मे वर्णित भूमि की सिविल रिट स0 115/2023 बअनवानी दानाराम बनाम श्योजत माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 18:50:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर